न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 05/2020 एवं 23/2021

1. गुरदीपसिंह पुत्र श्री मुकन्दसिंह जाति जटसिख, निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

अपीलांट्स

बनाम

1. मुकन्दसिंह पुत्र करनैल सिंह,
2. सरजीतकौर पत्नी मुकन्दसिंह
3. मलकीतसिंह पुत्र मुकन्दसिंह

अकवाम जटसिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय क्रमांक भूअ/2013/6 दिनांक 23—06—2015 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 कैम्प चक ज्वालासिंह वाला में मुकन्दसिंह वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48/53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में खाता विभाजन किया गया, को अपास्त करने बाबत।

उपस्थितः— 1. श्री अशोक कुमार छोड़ा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री इन्द्राज गोदरा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 01,02।
3. श्री प्रधुमन सिंह परमार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 03।

—:निर्णयः—

दिनांकः—18.08.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 अपीलार्थी का पिता है व प्रत्यर्थी सं. 2 अपीलार्थी की माता तथा प्रत्यर्थी सं. 3 अपीलार्थी का सगा भाई है। प्रत्यर्थी सं. 1 ता 3 के नाम से साझा खाता की चक नं. 39 एनजीसी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 49 जमाबंदी सवत 2068—71 मुकन्दसिंह 1/4 हिस्सा, सरजीतकौर पत्नी मुकन्दसिंह 1/4 हिस्सा, मलकीतसिंह पुत्र मुकन्दसिंह 1/2 हिस्सा प.नं० 152/253 (22) कि.न. 12 ता 25/3.542 है०, प.न. 152/254 (28) किला न 1 ता 5/1.265 है० कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। प्रत्यर्थीगण ने आपस में मिलीभगत करते हुए अपीलार्थी के हिस्सा को मिस्मार करने के आशय से गुप चुप तरीके से राजस्व अभियान कैम्प ज्वालासिंह वाला में परस्पर सहमति के आधार पर दिनांक 23—06—2015 को प्रत्यर्थी संख्या 3 मलकीतसिंह के नाम 5.10 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड करवा दी तथा राजस्व कर्मचारियों से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए विभाजन करवा लिया। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। अपीलार्थी के दादा करनैलसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह अर्थात प्रत्यर्थी सं. 1 के पिता व प्रत्यर्थी से 2 के ससुर पहले पजाब में रहते थे, अपीलार्थी का दादा अर्थात प्रत्यर्थी सं 1 का पिता व प्रत्यर्थी सं. 2 के ससुर ने पंजाब के गांव ढ़ाबड़ा व भंगचढ़ी की कृषि भूमियों को विक्रय कर प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के नाम से प्रश्नगत कृषि भूमि खरीद की थी। इसलिए उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का प्रत्यर्थीगण के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है। आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी स. 1 व 2 ने उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि में से 5.10 बीघा कृषि भूमि प्रत्यर्थी स. 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दी जबकि प्रत्यर्थी सं. 3 का प्रश्नगत कृषि भूमि में इतना हिस्सा नहीं बनता था। अपीलार्थी के हिस्सा को मिस्मार करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 ने अपीलार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि प्रत्यर्थी सं. 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाई है। जिस कारण अपीलार्थी न्याय से वंचित हो गया है। प्रत्यर्थीगण को इस तथ्य का इल्म होते हुए भी कि उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें अपीलार्थी का भी बहिस्सा बराबर जन्मजात हक व अधिकार है। उसके बावजूद प्रत्यर्थीगण ने उक्त वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर अपीलार्थी के हको के विपरीत जाकर विभाजन का निर्णय प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया है। प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में पारस्परिक सहमति से अपीलार्थी के हितों के विपरीत राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज करवा ली, जिसका

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपीलार्थी को किसी प्रकार से ज्ञान नहीं होने दिया। अपीलार्थी को पटवारी हल्का ने दिनांक 13–09–2015 को आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–06–2015 के बारे में बताया, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 14–09–2015 को आक्षेपित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी को आक्षेपित निर्णय की प्रति दिनांक 16–09–2015 को प्राप्त हुई, जिससे अपीलार्थी को सर्वप्रथम प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन का पता चला, इससे पूर्व अपीलार्थी को निर्णय दिनाक 23–06–2015 का कभी ज्ञान नहीं रहा। ऐसी स्थिति में ज्ञान से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें अपीलार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने प्रत्यर्थी स 3 के साथ आपस में मिलीभगत करते हुए अपीलार्थी के हिस्सा को मिस्मार कर प्रत्यर्थी स. 3 के नाम 5.10 बीघा कृषि भूमि दिनाक 23–06–2015 को दर्ज राजस्व रिकार्ड करवा दी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23–06–2015 से अपीलार्थी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हक प्रभावित होते है। जिस कारण अपीलार्थी यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–06–2015 को अपास्त फरमाया जावे।

उक्त अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी के प्रकरण संख्या 146/2015 के आदेश दिनांक 02.12.2019 द्वारा माननीय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को प्रेषित की गई। श्रीमान् ज़िला कलक्टर के आदेश कमांक 142 दिनांक 18.03.2020 द्वारा उक्त अपील इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। उक्त अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 01,02 द्वारा अपीलाधीन आदेश से सम्बधित अपील प्रकरण संख्या 23/2021 पेश किया गया। दोनो अपील एक ही आदेश के विरूद्ध होने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2024 द्वारा उक्त अपीलों को समेकित (consolidated) किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 01, 02 की और से श्री इन्द्राज गोदारा उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट सं0 03 की और से श्री प्रधुमन सिंह परमार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–06–2015 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्रकरण संख्या 23/2021 के अपीलाट्स एवं प्रकरण संख्या 05/2020 के अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02, 03 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुए कथन किया की प्रत्यर्थी अपीलार्थीगण का पुत्र है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी की चक 39 एनजीसी तहसील हनुमानगढ़ में संयुक्त खाता में कृषि भूमि थी जो कि पत्थर नंबर 152/254 (28) के किला नंबर 1 ता 5 व पत्थर नंबर 152/253 (22) के किला नंबर 12 ता 25 कुल 4.297 हैक्टेयर अर्थात् 19 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। इस कृषि भूमि में अपीलार्थीगण का 1/2 हिस्सा व प्रत्यर्थी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। अपीलार्थीगण अपने पुत्र प्रत्यर्थी के साथ ही निवास कर रहे थे एवं प्रत्यर्थी द्वारा ही उनकी सार–संभाल की जा रही थी। प्रत्यर्थी अपीलार्थीगण का पुत्र होने के कारण उस पर अपीलार्थीगण का पूर्ण विश्वास था। अपीलार्थीगण वृद्ध हैं जो कि प्रत्यर्थी पर ही आश्रित होने के कारण उस पर पूर्ण विश्वास करते थे एवं यह कृषि भूमि भी संयुक्त होने के कारण प्रत्यर्थी द्वार ही इस कृषि भूमि की सार–संभाल की जा रही थी परंतु कुछ माह पूर्व प्रत्यर्थी के व्यवहार में परिवर्तन आने पर उसके द्वारा अपीलार्थीगण को घर से निकाल दिया गया एवं अपीलार्थीगण वर्तमान में अलग निवास कर रहे हैं। अपीलार्थीगण को एक विधिक नोटिस दिनांक 09.09.2021 जो कि अधिवक्ता प्रद्युमन सिंह परमार द्वारा प्रेषित था। प्राप्त हुआ। इस विधिक नोटिस में अधिवक्ता द्वारा यह कथन किए गए कि एक प्रकरण गुरदीप सिंह बनाम मुकंद सिंह व अन्य न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ में विचाराधीन है, जिसमें वे अपीलार्थीगण के अधिवक्ता हैं एवं उनके द्वारा अब इस प्रकरण में अन्य अधिवक्ता नियुक्त करने की सूचना इस नोटिस के जरिए अपीलार्थीगण को दी गई। इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम इस नोटिस में वर्णित प्रकरण लंबित होने की जानकारी हुई, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा नोटिस में वर्णित दिनांक 17.09.2021 को अपने अधिवक्ता के जरिए माननीय न्यायालय में उपस्थिति दी गई। तब

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि निर्णय दिनांक 23.06.2015 के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा उक्त चक 39 एनजीसी की कृषि भूमि का विभाजन की डिक्री पारित करवा ली है। इस आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा इस आदेश की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलार्थीगण को यह भी जानकारी हुई कि यह आदेश सहमति से हुआ है, जिसमें अनुबंध पत्र दिनांक 22.06.2015 के आधार पर यह आदेश पारित हुआ है, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अनुबंध पत्र कभी निष्पादित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण को धोखा में रखकर उनके विश्वास का नाजायज लाभ उठाकर यह विभाजन का आदेश पारित करवाया गया है। इस आदेश दिनांक 23.06.2015 की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 17.09.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित अपील संख्या 5/2020 शीर्षक गुरदीप सिंह बनाम मुकंद सिंह व अन्य उपस्थिति देने के उपरांत हुई है। यह आदेश प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को हड़पने के लिए उनके विश्वास का नाजायज लाभ उठाकर व उन्हें धोखा देकर निष्पादित करवाए गए अनुबंध पत्र के आधार पर पारित करवाई गई है। जो कि पूर्णतया अवैध है। इस आदेश दिनांक 23.06.2015 के प्रभाव में रहने से अपीलार्थीगण के सांपत्तिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अनुबंध पत्र दिनांक 22.06.2015 पूर्णतः गलत, विधिविरूद्ध, फर्जी व कूटरचित है, जिस पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर व अंगुठा उन्हें धोखा में रखकर खाली स्टांप व कागजात पर करवाकर कूटरचित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा अनुबंध पत्र कभी निष्पादित नहीं किया गया एवं ना ही अपीलार्थीगण कभी नोटेरी पब्लिक के समक्ष इसे अनुप्रमाणित करवाने के लिए उपस्थित हुए। प्रश्नगत अनुबंध पत्र का स्टांप भी अपीलार्थीगण द्वारा खरीदशुदा नहीं है. जो कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 20.05.2015 को खरीद किया गया, जिस पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर व अंगुठा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उन्हें धोखा में रखकर एवं उनके विश्वास का नाजायज लाभ उठाकर खाली पर करवा लिए गए एवं बाद में प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 22.06.2015 में इन पर अनुबंध पत्र तैयार करवाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आक्षेपित आदेश पारित करवाया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण कभी उपस्थित नहीं हुए एवं ना ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की कोई जांच ही की गई। ऐसी स्थिति में भी आक्षेपित आदेश अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में उनकी सहमति व जानकारी के बिना पारित किया गया होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय को आक्षेपित आदेश पारित करने की कोई अधिकारिता भी नहीं है, क्योंकि इस आदेश के जरिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की 5 बीघा कृषि भूमि प्रत्यर्थी के नाम दर्ज कर खाता विभाजन के आदेश कर दिए गए, जबकि विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा का ही विभाजन का अधिकार है। इस हिस्सा को कम या अधिक कर विभाजन करने की कोई अधिकारिता माननीय अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थी जो कि केवल मात्र सक्षम राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा ही धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत घोषणा किए जाने के उपरांत ही ऐसा विभाजन किया जा सकता था. परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं की अधिकारिता से बढ़कर अनुतोष प्रत्यर्थी को प्रदान कर अपीलार्थीगण को क्षति कारित की गई है। यह कि आक्षेपित आदेश दिनांक 23.06.2015 की कोई जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नहीं थी जो कि अपीलार्थीगण को उन्हें प्रेषित विधिक नोटिस दिनांक 09.09.2021 के पश्चात् उसमें दर्ज प्रकरण गुरदीप सिंह बनाम मुकंद सिंह आदि में दिनांक 17.09.2021 को उपस्थिति देने के उपरांत हुई है। अपीलार्थीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वर्णित अपील गुरदीप सिंह बनाम मुकंद सिंह के लंबित होने की भी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि इस अपील में भी अधिवक्ता की नियुक्ति प्रत्यर्थी द्वारा ही की गई थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा ही इस अपील में पैरवी की जा रही थी। अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी इस अपील में कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया एवं अपील में उपस्थित अधिवक्ता की नियुक्ति प्रत्यर्थी द्वारा ही की गई थी एवं अब इन अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस से भी यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा ही नियुक्त किए गए थे।इसीलिए अब प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण को घर से निकालने के पश्चात् उनके द्वारा प्रत्यर्थी एवं अपीलार्थीगण के मध्य विवाद का आधार बनाकर नोटिस दिनाक 09.09.2021 अपीलार्थीगण को प्रेषित करते हुए उक्त अपील में पैरवी करने से इनकार कर दिया। इन तमाम परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा सर्वप्रथम आक्षेपित आदेश अपीलार्थीगण की जानकारी एवं ज्ञान के बिना उनके खाली हस्ताक्षरित एवं अंगुठा युक्त स्टांप व

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

कागजात पर फर्जी प्रार्थना पत्र व अनुबंध पत्र तैयार कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवाया गया एवं जब इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत हुई तब उस अपील की भी कोई जानकारी प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण को नहीं होने दी गई, जो कि अब सर्वप्रथम अपीलार्थीगण को उक्त विधिक नोटिस दिनांक 09.09.2021 की प्राप्ति के पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित अपील शीर्षक गुरदीप सिंह बनाम मुकंद सिंह दिनांक 17.09.2021 को उपस्थिति देने के उपरांत सर्वप्रथम हुई है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को इस आक्षेपित आदेश की जानकारी दिनांक 17.09.2021 को होने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा यह अपील बिना किसी विलंब के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जो कि जानकारी से अंदर मियाद है। इसके संबंध में पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.06. 2015 जो कि न्याय आपके द्वार कैंप ज्वालासिंहवाला में पारित किया गया, को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेसपोडेन्ट्स संख्या 03 ने अपनी बहस में कथन किया कि संयुक्त खाते की कृषि भूमि का विभाजन/विनिमय धारा 48/53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आपसी सहमति/राजीनामे से करवाया है। उक्त भूमि के पैतृक होने का कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए उक्त आदेश विधि अनुसार है। अतः निवेदन किया की अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पूर्व ही होना बताया है। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलांट व रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण इनके विधिक हक विवादित भूमि में होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट अंतर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:—

1. न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2015 कृषि भूमि का प्रार्थना पत्र, अनुबंध पत्र, व आपसी सहमति के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48/53 के अंतर्गत विभाजन/विनिमय स्वीकार किया गया है। तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ द्वारा विभाजन प्रार्थीगण के निवेदन पर किया गया है जिसमें रेस्पों. सं0 01, अपीलांट के पिता है जो जमाबंदी के अनुसार सहखातेदार है। सहखातेदार उक्त भूमि का विभाजन करवाने में सक्षम है।
2. अपील प्रकरण संख्या 23/2021 के अपीलांट्स द्वारा आपसी सहमति से विनिमय/ विभाजन हेतू स्वयं के हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही उक्त ईन्तकाल दर्ज किया गया है।
3. अपील प्रकरण संख्या 05/2020 का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार नहीं है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। पक्षकार उक्त भूमि के संबंध में हक निहित है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)

अपर जिला कलक्टर

हनुमानगढ़